बिहार सरकार

खेल विभाग

ज्ञाप संख्या–5 / वि. 4–21 / 2024 / 09 पटना, दिनांक–08.1 / 2025

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचंद पटेल पथ,
बिहार, पटना।

विषयः– सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के विरूद्ध होने वाले व्यय की कुल संभावित राशि ₹17,47,569/- (सत्रह लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ उनहत्तर रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

2. राशि का विकलन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–52 के अधीन बजट शीर्ष "2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएँ–104–खेल–कूद "विपत्र कोड–52–2204001040011 के अंतर्गत विषय शीर्ष–1601–प्रकाशन एवं मुद्रण मद से व्यय होगा।

3. राशि की निकासी विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खेल विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में महानिदेशक–सह–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के नाम संधारित पी०एल० खाता PBBPLA035 में अंतरित किया जायेगा।

4. स्वीकृत राशि का लेखा–जोखा अलग रखा जायेगा। भारत सरकार / बिहार सरकार के वित्त अंकेक्षण को स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा। स्वीकृत राशि या उसके किसी अंश के दुरूपयोग प्रमाणित होने पर संस्था से राशि वसूलनीय होगी।

5. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन ससमय विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जायेगा।

6. इस प्रस्ताव पर दिनांक–5/01/26 को संचिका सं०–5 / वि. 4–21 / 2024 के पृष्ठ सं०–48/टि० पर आंतरिक वितीय सलाहकार की अनुशंसा प्राप्त है।

8. यह स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प सं०–12888, दिनांक–03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।

7. इस राशि की स्वीकृति पर दिनांक–7/01/26 को संचिका सं०–5 / वि. 4–21 / 2024 के पृष्ठ सं०–49/टि० पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

9/1/26

(निरंजन कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5 / वि. 4–21 / 2024..09.... **पटना, दिनांक** 08.1.... / **2025**

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/26

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5 / वि. 4–21 / 2024.09..... **पटना, दिनांक**.08...1...... / **2025**

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / बजट शाखा / लेखा शाखा (दो प्रतियों में), खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/26

सरकार के संयुक्त सचिव।